From No. III.

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 20)

जगराम बनाम हुकमचन्द वगै0

हुक्म का कार्यवाही गय इजीनियल्य जज

प्रार्थना पत्र –212 संख्या 26 वर्ष 2020

12.02.20

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2020	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। एक पक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः उभयपक्षकारान को आगामी दिनांक 12.03..2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 457/0.28, 354/0.42, 555/0.25, 556/0.10, 557/0.10, 558/0.44, 559/0.46है0 वाके ग्राम कमालपुर पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। 12/02/20 उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	

/3/20 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित
पुलिस कुमार ... मूलवाद के साथ पेश हो
दिनांक 11/6/20 ...

वाद के साथ प्रा० पत्र 212 भी खारिज किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

प्राईमाफेसाई आयद व साबित हैं। जिससे वादी का वाद काबिल डिकी किये